संख्या:402/2016/4751जेएल/22-3-16-800(191)/2013

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
आजमगढ़।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनाक: 19 अक्टूबर, 2016***

विषय- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध बंदी कमरूज्जमा पुत्र श्री इद्रीस को पैरोल की स्वीकृति।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973(1974 का एक्ट संख्या-2) की धारा-432 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय **केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध बंदी कमरूज्जमा पुत्र श्री इद्रीस, निवासी-ग्राम-हिरनई गुल्लीगढ़, थाना-रौनापार, जनपद-आजमगढ़ को एक माह के पैरोल** पर कारागार से छोड़े जाने के आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ देते है कि बंदी पैरोल की अवधि में शांति बनाये रखने तथा अच्छे चाल-चलन रखने और पैरोल की अवधि समाप्त होने पर जेल में वापस जाने के लिए आपकी संतुष्टि के अनुसार दो जमानतों सहित एक निजी मुचलका दाखिल करे तथा बंदी के विरूद्ध अन्य कोई मुकदमा किसी न्यायालय में विचाराधीन न हो तथा बंदी का जेल आचरण संतोषजनक हो। पैरोल की अवधि को बंदी द्वारा काटी गयी सजा में नही जोड़ा जायेगा।

2- यदि बंदी पैरोल समाप्त होने पर नियत तिथि को जेल में हाजिर न हो तो बंदी तथा उसके जमानतदारों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जाय। बंदी पैरोल की अवधि में अपने निवास स्थान के थाना में अपनी उपस्थिति की सूचना देता रहेगा।

3- बंदी को यह स्पष्ट कर दिया जाय कि यदि वह स्वीकृत पैरोल की अवधि समाप्त होने पर निर्धारित दिनांक को जेल में वापस नही आता है तो उसके विरूद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह भविष्य में एक निश्चित अवधि अथवा सदा के लिए परिहार तथा पैरोल पाने का अधिकारी न होगा।

4- यह आदेश जारी होने के दिनांक से छः माह तक मान्य होंगे।

5- कृपया इस आदेश की प्राप्ति की सूचना तुरन्त दें।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या:402/2016/4751जेएल(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि बंदी के पैरोल पर रिहा किये जाने तथा बंदी के द्वारा जेल में हाजिर होने की तिथियों से शासन तथा महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0 को रेडियोग्राम द्वारा उसी दिन अथवा अधिकतम अगले दिन अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

2- पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़।

3- महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in